कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 08.11.2021 द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य, राउमावि रहनावा, माधोपुरा जिला सीकर को प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में राउमावि भरीना, सुजानगढ जिला चूरू स्थानान्तरित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध बृजेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16113/2021 बृजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा याचिकार्थी को रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष दो सप्ताह के भीतर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याचिकार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 6 सप्ताह की अवधि में उसे विधि अनुसार, विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के बोर्ड परीक्षा परिणाम के शत प्रतिशत रहने एवं अपने माता–पिता की वृद्धावस्था को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राजकीय मांगू सिंह उमावि पनलावा, लक्ष्मणगढ जिला सीकर/राउमावि अजीतपुरा, धोद, सीकर अथवा राउमावि धमोरा, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, में माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। याचिकार्थी को समीपवर्ती चूरू जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। याचिकार्थी के परीक्षा परिणाम के शत प्रतिशत रहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित ही नहीं किया जा सकता। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/बृजेन्द्र सिंह/16113/2021 दिनांकः 31/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर/चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक सीकर/चूरू।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. बृजेन्द्र सिंह, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि भरीना, सुजानगढ जिला चूरू।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner